

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठ भूमि

वर्ष 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V द्वारा सेवा कर आरंभ किया गया था।

1994-95 से ₹ 410 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 1,54,780 करोड़ तक सेवा कर में काफी अधिक वृद्धि हुई। सेवा कर में यह वृद्धि मुख्यतः करयोग्य सेवाओं की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, जो 1 जुलाई 2012 से प्रभावी नकारात्मक सूची अभिगम के प्रारंभ करने के बाद नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर; सभी सेवाओं पर जो 1994 से 3 से बढ़ चुका है। सेवा कर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि के कारण भी है।

निर्माण कार्य अनुबंध सेवा (डब्ल्यूसीएस) 1 जून 2007 से प्रभावी कर योग्य सेवाओं की सूची में सम्मिलित थी। इस सेवा का कार्यक्षेत्र को वित्त अधिनियमों में परिवर्तनों/संशोधनों द्वारा समय-समय पर विस्तार किया जाता है।

डब्ल्यूसीएस सेवा कर संग्रहणों के शीर्ष तीन सहयोगियों में से एक है और 2013-14 के दौरान ₹ 7,434 करोड़ जो कुल सेवा कर संग्रहण का 4.80 प्रतिशत था; डब्ल्यूसीएस द्वारा संग्रहित किया गया। निर्माण कार्य संविदा उन सेवाओं से कर लेती है जिनमें सामान में संपत्ति का स्थानांतरण निर्माण अनुबंध कार्यान्वयन के दौरान सम्मिलित होता है। कर अनुबंध के कार्यान्वयन में शामिल सेवाओं पर होगा।


सामान्यतः सेवा कर की देयता सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता पर निर्धारित की जाती है। दोनों अर्थात् कुल चयनित सेवाओं के मामले में सेवा प्रदाता के साथ-साथ सेवा प्राप्तकर्ता पर लाने वाले सेवा कर की अदायगी की देयता है, वहां 1 जुलाई 2012 से कर की एक प्रणाली आरंभ की गई थी। डब्ल्यूसीएस के मामले में करयोग्य क्षेत्र स्थित किसी निगमित निकाय के रूप में पंजीकृत किसी व्यापारिक सत्त्व से करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के संगठन सहित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं, हिन्दु अविभाजित परिवार, स्वामित्व फर्म या सहभागी फर्म के संबंध में सेवा कर आंशिक कर (50 प्रतिशत) सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा और शेष 50 प्रतिशत सेवा प्रदाता द्वारा चुकाया जाता है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

राजस्व अधिनियम, 1963 के केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत गठित केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राजस्व का एक भाग है। यह सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संग्रहण और उद्ग्रहण, तस्करी रोकने तथा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नार्कोटिक्स से संबंधित नीति बनाने के कार्य से जुड़ा है। बोर्ड सीमाशुल्क भवनों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालयों तथा केंद्रीय राजस्व नियंत्रण लेबोरेटरी के साथ-साथ अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है। सीबीईसी के सदस्य (सेवाकर) के पास सेवा कर से संबंधित मामलों का संपूर्ण प्रभार होता है। मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

चार्ट 1.1 सीबीईसी के तहत सेवा कर राजस्व के संग्रहण से संबंधित संगठनात्मक ढांचा और इसकी मॉनीटरिंग दर्शाता है।

चार्ट 1.1: सीबीईसी का संगठन



1.3 विधिक प्रावधान

1.3.1 करयोग्य सेवाएँ

1.3.1.1 1 जून 2007 और 30 जून 2012 के बीच

‘कार्य अनुबंध सेवा’ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडजेडए) अर्थात्,

“सङ्को, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, गुफाओं और बांधों से संबंधित कार्यों को छोड़कर कार्य अनुबंध के निष्पादन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा।”

इस उपखण्ड के उद्देश्यों हेतु “कार्य ठेका” अर्थात् एक अनुबंध जहाँ,

- i. ऐसे अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति का स्थानांतरण, वस्तुओं की बिक्री के रूप में वसूली कर योग्य होगा, और
- ii. ऐसा अनुबंध करने का उद्देश्य यह करना है:-
 - क. संयंत्र मशीनरी, उपकरण अथवा ढाँचा स्थापित करना अथवा उसे चालू करना, चाहे पहले से बने हों अथवा नहीं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ लगाना, प्लंबिंग, नाली बिछाना अथवा तरल पदार्थों के परिवहन हेतु अन्य अधिष्ठापन, हीटिंग, वायुसंचार अथवा वातानुकूलन के साथ-साथ उससे जुड़े पाइप कार्य, नलिका कार्य और शीट धातु कार्य, थर्मल इंसुलेशन, ध्वनि इंसुलेशन, फायर प्रूफिंग अथवा वाटर प्रूफिंग एवं एस्कलेटर, अग्निरोधक सीढ़ियां अथवा एलीवेटर्स लगाना; अथवा
 - ख. मुख्य रूप से वाणिज्य अथवा उद्योग के उद्देश्यों के लिए नए भवन अथवा सिविल संरचना अथवा उसके भाग, अथवा, पाइप लाइन अथवा नाली का निर्माण; अथवा
 - ग. नए आवसीय परिसर अथवा उसके भाग का निर्माण; या

- घ. पूरा करने और परिष्करण सेवाएं, मरम्मत, अदला-बदली, नवीनीकरण अथवा उसका पुनरुद्धार, अथवा (ख) एवं (ग) से संबंधित समान सेवायें; अथवा
- ड. इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण या चालू परियोजनाओं की स्थापना (ईपीसी) सहित तैयार शुदा परियोजनाएँ¹ शामिल हैं।

1.3.1.2 1 जुलाई 2012 से

धारा 65(44) में “सेवा” का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार करने हेतु किसी गतिविधि का माध्यम है और कुछ गतिविधियों जैसे एक गतिविधि जिसमें बिक्री के माध्यम से, उपहार अथवा किसी दूसरे तरीके से अचल संपत्ति अथवा सामान की स्वामित्व का पूर्णतः स्थानांतरण किया जाता है, को छोड़ते हुए एक घोषित सेवा है।

कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग अधिनियम की धारा 66ई(एच) के अनुसार एक घोषित सेवा है (1 जुलाई 2012 से प्रभावी)।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) “व्याख्या” से संबंधित है और धारा 65बी के खण्ड (54) के साथ पढ़ा जाता है।

कार्य अनुबंध अर्थात् एक अनुबंध जिसमें ऐसे अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति का स्थानांतरण वस्तुओं की बिक्री के रूप में कर उद्ग्रहण योग्य है तथा ऐसे अनुबंध निर्माण, इरेक्शन, स्थापना, अधिष्ठापन, समापन, फिटिंग करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण किसी चल या अचल संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति के संबंध में एक भाग के स्थानांतरण या कोई अन्य समान गतिविधि करने के लिए हैं। हालांकि निर्माण, इरेक्शन, स्थापना, अधिष्ठापन, समापन, फिटिंग करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण के माध्यम से अथवा सामान्य लोगों द्वारा उपयोग हेतु सङ्केत परिवहन के लिए

¹ शब्द ‘टर्नकी’ परियोजना/ठेका’ को ‘इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण अनुबंध के रूप में ब्लैक की विधि शब्दावली में परिभाषित किया गया है - एक तय कीमत, अनुसूची, गहन निर्माण अनुबंध - एकल उद्देश्य परियोजना के निर्माण में जटिल रूप से प्रयुक्त जिसमें ठेकेदार शुरुआत प्रक्रियाएं तैयार करने, निष्पादन जांच करने, संचालन नियमावली बनाने और सुविधा के संचालन हेतु लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और सुविधा के निर्माण हेतु सेवा प्रदान करने के साथ विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों पर सहमत होता है’।

सड़क, पुल, सुरंग अथवा टर्मिनल में परिवर्तन की दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना द्वारा छूट दी गई थी।

1.3.2 करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत करयोग्य सेवाओं के मूल्य की निम्नलिखित तरीके से गणना की जानी अपेक्षित है:

- क. जहां सेवा का प्रावधान पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप में प्राप्त धन के रूप में विचारार्थ हो, तो मूल्य सेवा प्रावधान हेतु सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित कुल राशि होगी।
- ख. जहां सेवा का प्रावधान विचाराधीन है जो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से धन से संबंधित हो, तो ऐसी राशि का मूल्य धन में प्रभारित सेवा कर के अतिरिक्त के रूप में विचारार्थ होगा।
- ग. जहां सेवा का प्रावधान विचाराधीन है जो सुनिश्चित करने योग्य न हो, तो मूल्य निर्धारण नियमों में निर्धारण तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त खण्ड में प्रावधान है कि

- क. जहां कुल प्रभारित राशि, देय सेवा कर में शामिल हो वहां अतिरिक्त कर के रूप में देय ऐसी राशि का मूल्य प्रभारित कुल राशि के बराबर होगा।
- ख. 'प्रतिफल' में प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए देय कोई भी राशि शामिल है।
- ग. 'कुल प्रभारित राशि' में चेक, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स जारी करके भुगतान के किसी रूप में और किसी भी खाते में कोई भी क्रेडिट या डेबिट की गई राशि, जैसा भी मामला हो, चाहे सेवा कर के भुगतान हेतु दायी व्यक्ति के बही खाते में "उचंत लेखें" अथवा अन्य नाम से कहे जाने वाले जहां करयोग्य सेवा का लेन-देन संबद्ध उद्यमों के साथ हों।

1.3.2.1 1 जून 2007 और 30 जून 2012 के बीच लागू नियम

कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रावधान, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 में निहित है, जो दिनांक 19 अप्रैल 2006 अधिसूचना द्वारा 1 जून 2007 से प्रभावी हुआ।

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए में प्रावधान है कि अनुबंध कार्य के निष्पादन में निहित सेवाओं से संबंधित करयोग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा:

(i) कार्य अनुबंध सेवा के मूल्य का निर्धारण कार्य अनुबंध हेतु प्रभारित कुल राशि के बराबर ऋण में से उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण मूल्य से घटाकर निर्धारित किया जाएगा।

क. हालांकि कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि में वैट अथवा बिक्री कर शामिल नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो लेकिन उक्त कार्य अनुबंध अथवा निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण पर यह देय होगा, यदि कोई हो;

ख. कार्य अनुबंध सेवा मूल्य में शामिल होंगे-

- i. कार्यों के निष्पादन हेतु श्रम प्रभार;
- ii. श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि;
- iii. योजना डिजाइनिंग और स्थापत्य शुल्क के लिए प्रभार;
- iv. कार्य अनुबंध के निष्पादन में प्रयुक्त मशीनरी और तंत्रों, अन्य को प्राप्त करने अथवा किराए पर प्रभार;
- v. कार्य अनुबंध के निष्पादन में प्रयुक्त उपभोग वस्तुओं का मूल्य जैसे- पानी, बिजली, ईंधन;
- vi. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले ठेकेदार की स्थापना मूल्य;
- vii. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले अन्य समान खर्च; और

- viii. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित लाभ;
- g. जहां कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण के वास्तविक मूल्य पर वैट या बिक्री कर का भुगतान किया जाता है जब वैट अथवा बिक्री कर के भुगतान के उद्देश्य से अपनाया गया ऐसा मूल्य जैसा भी मामला हो, कार्य अनुबंध सेवा मूल्य के निर्धारण हेतु उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण के रूप में लिया जाएगा।

कार्य अनुबंध एक मिश्रित अनुबंध (अर्थात् अनुबंध एवं निहित सामान) है और इसलिए निर्धारण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। व्यापक रूप से सेवा प्रदाता के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं।

- क. सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 2ए के अनुसार सेवा की मूल्य गणना और ऐसे मूल्य पर शिक्षा अधिभार और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा अधिभार के साथ 10.30 प्रतिशत (मार्च 2012 तक) अथवा 12.36 प्रतिशत सेवा कर का भुगतान करना होगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में निर्धारिती इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता। इस प्रकार निर्धारिती इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट ले सकता है।
- ख. कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान हेतु मिश्रित योजना) नियमावली, 2007 के नियम 3(1) के अनुसार कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि के 4.8 प्रतिशत (1 अप्रैल 2012 से और 1 जुलाई 2012 तक) (शिक्षा अधिभार एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा अधिभार सहित) सेवा कर का भुगतान। ऐसा पूर्व के कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान हेतु मिश्रित योजना) नियमावली, 2007 के प्रावधानों के अनुसार था। मिश्रित योजना के 3(2) के अनुसार निर्धारिती इनपुट्स पर सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता। इस प्रकार, निर्धारिती इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट ले सकता है।

2007 में शुरू हुई मिश्रित योजना के तहत दर दो प्रतिशत थी जिसे बाद में 1 मार्च 2008 से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया। 1 अप्रैल 2012 से इस दर को बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया।

दोनों मामलों में वैट/बिक्री कर को सेवा कर की गणना करते समय मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

निर्धारिती प्रत्येक मामले में प्रत्येक ‘कार्य अनुबंध’ को अलग-अलग मान सकता था और उपरोक्त (क) अथवा (ख) में से कोई भी विकल्प चुन सकता था। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं था कि उसके द्वारा निष्पादित सभी कार्य अनुबंधों में वह एक ही विकल्प चुने।

1.3.2.2 1 जुलाई 2012 से लागू नियम

1 जुलाई 2012 से मूल्यांकन से संबंधित स्थिति को सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए(ii) में शामिल किया गया है जो इस प्रकार है:-

- (ii) जहां उपरोक्त पैराग्राफ 1.2.2.1 में उल्लिखित खण्ड (i) के अनुसार मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है वहां कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सेवा भाग पर देय कर के दायी व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से देय सेवा कर का निर्धारण करना होगा, नामत:-
- क. मूल कार्य के निष्पादन में किए गए अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत का भुगतान करना होगा;
- ख. अनुरक्षण अथवा मरम्मत अथवा सुधार या नवीनीकरण या किसी वस्तु की मरम्मत करने के लिए किए गए अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का 70 प्रतिशत सेवा कर देय होगा;
- ग. अनुरक्षण, मरम्मत, समापन और समापन सेवाओं जैसे- किसी अचल सपत्ति के रोगन, प्लास्टरिंग और छत और दीवर टिलिंग, बिजली फिटिंग की स्थापना के साथ-साथ उप-खण्ड (क) और (ख) शामिल नहीं अन्य कार्य अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का 60 प्रतिशत सेवा कर देय होगा;

व्याख्या 1: इस नियम के उद्देश्य हेतु

क. “मूल कार्य” अर्थात्-

- i. सभी नए निर्माण;
- ii. भूमि पर क्षतिग्रस्त ढाँचे अथवा परित्यक्त ढाँचे में सभी प्रकार के बदलाव और जुड़ाव जिसे उपयोगी बनाने की आवश्यकता है;
- iii. संयंत्र मशीनरी, अथवा उपकरण या ढाँचे निर्माण स्थापन, चालू करने, चाहे पहले के बने हो या नहीं;

ख. “कुल राशि” अर्थात् कार्य अनुबंध के निष्पादन से जुड़ी अथवा आपूर्त सेवाओं और सभी वस्तुओं के सही बाजार मूल्य और कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का कुल जोड़ चाहे इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई हो अथवा नहीं, करने के पश्चात्-

- i. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रभारित राशि, यदि कोई हो; और
- ii. उस पर उद्ग्रहीत मूल्य वर्धित कर अथवा बिक्री कर:

बशर्ते कि इस तरह आपूर्त वस्तुओं और सेवाओं का सही बाजार मूल्य सामान्यः स्वाकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

व्याख्या 2 - संदेह मिटाने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि करयोग्य सेवा प्रदाता सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्य अनुबंध के संबंध में अथवा उसमें प्रयुक्त किसी इनपुट पर अदा किए गए शुल्क या अधिभार का सेनेट क्रेडिट नहीं लेगा।

1.4 हमने यह विषय क्यों चुना

2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 3,092 करोड़, ₹ 4,179 करोड़, ₹ 4,455 करोड़ और ₹ 7,434 करोड़ राजस्व संग्रहण के साथ डब्ल्यूसीएस शीर्ष दस राजस्व योगदान सेवाओं में से एक है। कार्य अनुबंध से संबंधित नियमों में कई विशेष प्रावधान हैं जो हमें जांच के लिए एक यथार्थपरक क्षेत्र भी प्रदान करते हैं, ऐसे प्रावधानों में कार्य अनुबंध के

संबंध में पूर्वव्यापी मिश्रित योजना, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए के तहत मूल्यांकन प्रावधान और नए लागू आंशिक प्रतिलोम प्रभार तंत्र शामिल हैं।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विभागीय तथा निर्धारिती के अभिलेखों की जांच के माध्यम से, हमने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि:-

- क. कार्य अनुबंध सेवाओं से संबंधित सेवा कर के उद्घग्हण, संग्रहण तथा निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता ;
- ख. क्या कानून के मौजूदा प्रावधनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जा रहा है;
- ग. क्या सेवा कर के उद्घग्हण के लिए संभावित सेवा प्रदाताओं को पहचानने तथा उन्हें कर दायरे के अन्दर लाने के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था थी; तथा
- घ. क्या एक प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

हमने 30 प्रतिशत आयुक्तालयों/डिविजनों/रेजो का चयन किया। ऐसा करते समय, अधिकतम आयुक्तालयों/डिविजनों/रेजो के साथ -साथ डब्ल्यूसीएस के तहत 2010-11 से 2013-14 के दौरान संग्रहित अधिक राजस्व को कम से कम दो डिविजनों तथा दो रेजो के साथ चयनित किया गया था। इसके अलावा, सैनवेट सहित पीएलए के माध्यम से ₹ तीन करोड़ प्रति वर्ष से अधिक सेवा कर का भुगतान करने वाले कम से कम पांच निर्धारितियों तथा प्रत्येक चयनित आयुक्तालय से सैनवेट सहित पीएलए के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक परन्तु ₹ तीन करोड़ से कम सेवा कर का भुगतान करने वाले कम से कम दो निर्धारितियों को कवर किया गया था।

हमने डब्ल्यूसीएस पर निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए 33 चयनित आयुक्तालयों, 66 डिविजनों तथा 116 रेजो (एसटी, समेकित सीई तथा एसटी सीडीआर तथा एलटीयू) तथा 237 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की। इस निष्पादन लेखापरीक्षा की जांच अवधि 2010-11 से 2013-14 तक है।

1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2013-14 के लिए चयनित आयुक्तालयों द्वारा संग्रहित सेवा कर ₹ 5,164 करोड़ है। हमने ₹ 543.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले प्रणाली तथा अनुपालन मामले अर्थात् गैर-पंजीकरण, सेवा कर का भुगतान न करना/कम करना, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना तथा उपयोग करना, गलत छूट आदि मामले देखें। विभाग ने ₹ 3.92 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.8 आभार

हम इस लेखापरीक्षा को करने के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा इसकी क्षेत्रीय संचनाओं द्वारा दिए सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 14 अगस्त 2014 को सीबीईसी के साथ एक एन्ट्री कानफ्रेस में निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र की चर्चा की तथा 18 जून 2015 को एकिंजट कानफ्रेस आयोजित की गई। मंत्रालय ने जून 2015 में सिफारिशों के उत्तर प्रस्तुत किए जिन्हें इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।